भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

**राज्य सभा**

**तारांकित प्रश्न संख्या \*387**

(जिसका उत्तर 03 अप्रैल, 2018/13 चैत्र, 1940 (शक) को दिया जाना है)

**सरकारी क्षेत्र के बैंकों की लेखा परीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ किया जाना**

387. श्री मोहम्मद अली खानः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के बाद से सरकारी क्षेत्र के बैंकों की आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने इस तथ्य का विश्लेषण किया है कि आंतरिक लेखा परीक्षा पद्धति में किस प्रकार की त्रुटि के कारण यह घोटाला हुआ है और इसका क्या समाधान निकाला जाएगा?

**उत्तर**

वित्त मंत्री (श्री अरुण जेटली)

**(क) से (ग):** एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*

**‘‘सरकारी क्षेत्र के बैंकों की लेखा परीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ किया जाना” के संबंध में श्री मोहम्मद अली खान द्वारा पूछे गए 03 अप्रैल, 2018 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या \*387 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।**

**(क) से (ग):** बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के संगत उपबंधों तथा अन्य संगत कानूनों के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक बैंकिंग प्रणाली का विनियामक और पर्यवेक्षक है। पंजाब नैशनल बैंक (पीएनबी) में हुई धोखाधड़ी के पश्चात सरकारी क्षेत्र के बैंकों की आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने संबंधी योजना के संबंध में आरबीआई ने यह सूचित किया है कि हाल ही में पीएनबी द्वारा सूचित धोखाधड़ी को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने, अन्य बातों के साथ-साथ, धोखाधड़ी की घटनाओं को कम करने में बैंकों में की जाने वाली विभन्न प्रकार की लेखापरीक्षा की भूमिका तथा प्रभावोत्पादकता की जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है।

\*\*\*\*\*